इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2026—श्रावण 1, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2026

क्र. 7040–128–इक्कीस–अ(प्रा.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026 (क्रमांक 17 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

NO. 17 OF 2026

THE MADHYA PRADESH AGNISHAMAN EVAM APATKALIN SEVAYEN VIDHEYAK, 2026

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER I

PRELIMINARY

Clauses :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II

ORGANIZATION, SUPERINTENDENCE, CONTROL AND MAINTENANCE OF THE FIRE AND EMERGENCY SERVICE

3. Establishment, Constitution and Classification of Fire and Emergency Service for the whole of the State.
4. Superintendence and Control of Fire and Emergency Service.
5. Director of Fire and Emergency Service.
6. Setting up of Fire Stations.
7. Fire and Emergency Volunteers.

CHAPTER III

FIRE AND EMERGENCY RESPONSE

8. Response to calls.
9. Powers on occasion of fire or emergency response.
10. Power to arrange water supply during emergency.

CHAPTER IV

GENERAL MEASURES FOR FIRE AND EMERGENCY PREVENTION AND LIFE SAFETY MEASURES

11. Preventive measures.
12. Owner's or occupier's liability to provide fire prevention and life safety measures.
13. Issue of fire plan approval or fire safety certificate.
14. Power to seal buildings or premises.
15. Qualified agencies and their functions.
16. Appointment and functions of Fire Safety Supervisor.
17. Power of inspection.

CHAPTER V

OFFENCES AND PENALTIES

18. Offences and penalties.
19. Penalty for dereliction of duty.
20. Liability of the property owner to pay compensation.
21. Offences by companies.
22. Protection of action taken in good faith.
23. Power to impose penalties.
24. Jurisdiction.

CHAPTER VI

APPEALS

25. Appeals.

CHAPTER VII

TRAINING AND CAPACITY BUILDING

26. Training And Capacity Building.

CHAPTER VIII

LEVY OF FIRE TAX,

27. Levy of fire tax.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

28. Declaration of Fire and Emergency Service as an essential service.

29. Deployment outside the State.

30. Deployment on other duties within the State.

31. Power to obtain information.

32. Recovery of dues.

33. Police officers and others to aid.

34. Power to make rules.

35. Delegation of powers.

36. Act not in derogation of any other law.

37. Power to remove difficulties.

38. Repeal and savings.

MADHYA PRADESH BILL
No. 17 OF 2026

THE MADHYA PRADESH AGNISHAMAN EVAM APATKALIN SEVAYEN VIDHEYAK, 2026

A Bill to provide for the regulation of Fire and Emergency Service and to make more effective provisions for the fire prevention and fire safety measures in various types of buildings and premises in the State of Madhya Pradesh and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-seventh year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.

(1) This Act may be called the Madhya Pradesh Agnishaman Evam Apatkalin Sevayen Adhiniyam, 2026.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different areas and for different provisions of this Act.

2. Definitions.(1) In this Act, unless the context otherwise requires, .-

(a) "Appellate Authority" means an officer appointed by the State Government, who is at least one rank higher than the Officer against whose order the appeal lies as prescribed;

(b) "Building" includes any structure or erection or part of a structure or erection which is intended to be used for residential, industrial, commercial or other purposes, whether in actual use or not;

(c) "Building bye-laws" shall have the same meaning, as assigned to it in the State municipal laws, or State land development rules;

(d) "Competent Authority" means such an authority, as defined and bestowed with such powers, as are prescribed by the rules made under this Act;

(e) "cowardice" implies an intentional, shameful failure of character and duty by any personnel, when facing an imminent danger of life and property;

(f) "Director" means the Director of Fire and Emergency Service;

(g) "Disaster" means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or manmade causes or by accident or negligence, which results in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of, property, or damage to or degradation of, environment and is of such a nature or magnitude, as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area;

(h) "Emergency" means any serious situation or occurrence, including disasters, that happens unexpectedly and demands immediate action of the Fire and Emergency Service of the State Government or local body;

(i) "Erector" means a person or association of persons, who erects or makes a pandal or any structure for occupation of people, on a regular or temporary basis;

(j) "Fire Officer" means a person appointed by the State Government, urban local body or the competent authority for fire fighting operations and for matters connected therewith and incidental thereto;

(k) "Fire prevention and life safety measures" means such measures, which are necessary for the containment, control and extinguishing of fire and for ensuring the safety of life and property in case of fire;

(l) "Fire safety supervisor" means the person appointed under Section 16 by the owner or occupier of certain premises and buildings, as specified in this behalf to ensure fire prevention and fire safety measures installed in such premises and buildings;

(m) "Fire Station" means a building erected to house the fire fighting equipment, appliances and staff, declared generally or specially by the State Government to be a Fire Station and other field formations, as constituted in Section 6;

(n) "Local body" means a Municipal Corporation, Municipal Council, Nagar Parishad, Zila Panchayat, Janpad Panchayat, Gram Panchayat or any local body constituted under any relevant State law;

(o) "Occupancy" means the principal occupancy, for which a building or a part of the building is used or intended to be used, including subsidiary occupancies, which are contingent upon it;

(p) "occupier" means,-

(i) any person, who for the time being, is paying or is liable to pay to the owner, the rent or any portion of the rent of the land or building, in respect of which such rent is paid or is payable; or

(ii) an owner, in occupation of or otherwise using his land or building, or

(iii) a rent-free tenant of any land or building; or

(iv) a licensee, in occupation of any land or building; or

(v) any person, who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any land or building.

(q) "owner" includes a person, who, for the time being, is entitled to receive the rent of any land or building, whether on his own account or on account of himself and others or as an agent, trustee, guardian or receiver or any other person or who shall so receive the rent or be entitled to receive it, if the land or building or part thereof were let to a tenant;

(r) "pandal" means a temporary structure with a roof or walls made of straw, hay, ulu grass, golpatta, hogla, darma, mat, fiber material, canvas, cloth or other like material, which is not adopted by anyone for permanent or continuous occupancy;

(s) "personnel" means a person deployed for purpose of Fire and Emergency operations.

(t) "Qualified agency" means a person or an association of persons, having technical specialization in the field of Fire/Civil/Mechanical/Electrical Engineering/Technology, Industrial Safety, Disaster Management or Chemical Science, from a recognized university and having sufficient domain knowledge and accomplishments in the field of Fire Service;

(u) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh.

(2) All other words and expressions used herein but not defined and defined in the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (23 of 1956), the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (37 of 1961) and the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (1 of 1994) or any other relevant Act, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

CHAPTER II

ORGANIZATION, SUPERINTENDENCE, CONTROL AND MAINTENANCE OF THE FIRE AND EMERGENCY SERVICE

3. **Establishment, Constitution and Classification of Fire and Emergency Service for the whole of the State.-** There shall be one Fire and Emergency Service for the whole of the State and all officers and sub-ordinate rank of the Fire and Emergency Service may be posted to any office or any field formation:

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, declare any Fire Brigade or any other Local Fire and Emergency Service of any local body of the State, by whatever name called, that the same shall form or shall not form the part of State Fire and Emergency Service at any time.

4. **Superintendence and control of Fire and Emergency Service.**- The superintendence of the Fire and Emergency Service throughout the State shall vest in the State Government while operational control shall vest with the urban local body and the competent authority.

5. **Director of Fire and Emergency Service.**- There shall be a Director of Fire and Emergency Service, who shall exercise such powers and perform functions, as may be prescribed by the rules.

6. **Setting up of Fire Stations.**- (1) The State Government, may on its own or on the recommendation of the urban local body, may constitute as many fire station and other field formations, as it deems fit for fire prevention and life safety.

(2) Subject to the superintendence of the Director and operational control of the respective urban local body or the competent authority, the officer-in-charge of a fire station and personnel appointed therein, shall exercise such powers and perform such duties, as are conferred and imposed upon them under the rules.

7. **Fire and Emergency Volunteers.**- Whenever, it appears necessary to the urban local body to augment the Fire and Emergency Response System, it may enroll volunteers for such area and on such terms and conditions, as may be prescribed by the rules.

CHAPTER III

FIRE AND EMERGENCY RESPONSE

8. **Response to calls.** The Fire and Emergency Service shall respond to all fire and emergency related calls from any area in the State, as per such standard operating procedures, as the State Government may determine.

9. **Powers on occasion of fire or emergency response.**-

(1) On the occasion of fire or emergency response, any personnel responsible for the Fire and Emergency response, who is in-charge of fire fighting operations may,-

(i) remove any person, whose presence interferes with fire fighting or emergency response or arrest any person, who wilfully obstructs or hinders fire fighting or rescue operations;

(ii) enter upon, break into or remove any premises or structures, as may be necessary for carrying out fire fighting or emergency response including for the passage of appliances;

(iii) close any street or passage in or near, where fire or emergency response is in progress;

(iv) disperse an assembly of persons likely to obstruct the fire-fighting or emergency response;

(v) require the authority in charge of water supply in the area to regulate and provide water at a specified pressure;

(vi) take such measures, as may be prescribed and as may appear to him to be necessary for extinguishing the fire or for the protection of life and property, or both.

(2) The manner of exercise of the powers under this section, the procedure to be followed, safeguards to be observed and any ancillary matter shall be such, as may be prescribed.

10. Power to arrange water supply during emergency.

(1) The personnel of the fire fighting operations shall draw water from any source in the area, which he considers necessary during fire fighting operations and on such occasions, as may be required and the authority or owner or occupier having control over such water source shall supply water for that purpose.

(2) The District Magistrate and local body shall take all reasonable measures for ensuring that an adequate supply of water is available for use in the event of fire.

(3) No charge shall be paid for water consumed in fire fighting operations by the Fire and Emergency Service.

CHAPTER IV

GENERAL MEASURES FOR FIRE AND EMERGENCY PREVENTION AND LIFE SAFETY MEASURES

11. Preventive measures.-

(1) The State Government may, by notification, require the owner or occupier of premises in any area or of any class of premises used or the erector of pandal, which in its opinion, are likely to cause risk of fire, to take such precautions for prevention of fire emergency, as may be specified in such notification.

(2) Where such notification has been issued, it shall be lawful for the Director or Fire Officer to direct the removal of objects or goods likely to cause the risk of fire, to a place of safety and on failure by the owner or occupier or the erector to do so, the Director or Fire Officer may, after giving the owner or occupier or the erector, a reasonable opportunity of making the representation, seize, detain or remove such objects or goods.

(3) The Director or Fire Officer shall ensure that Fire and Emergency Management Plans of the Fire Station and other field formations shall be prepared in conformity with the respective District Disaster Management Plans.

12. Owners' or Occupiers' liability to provide Fire Prevention and Life Safety Measures.-

(1) The owner or the occupier, who are either individually or jointly responsible for a building, as classified by regulations or part thereof, shall provide such fire prevention and life safety measures, as may be prescribed or notified.

(2) No authority empowered to issue the occupancy certificate, shall issue the same, unless it is satisfied that the owner or the occupier, either individually or jointly, has complied with the provisions as given in sub-section (1).

(3) The owner shall obtain fire plan approval or fire safety certificate from competent authority of Fire and Emergency Service:

Provided that the State Government may, by notification, include or exclude any building or group of buildings from obtaining fire plan approval or fire safety certificate from Fire and Emergency Service:

Provided further that the State Government may, by notification, include or exclude any building or group of buildings from availing the shared and common fire fighting and emergency infrastructure.

13. Issue of fire plan approval or fire safety certificate.

(1) competent authority or any officer authorised by him on receipt of application for issuance of fire plan approval or fire safety certificate shall examine the compliance with regard to the requirement of Section 12 and the rules made in this behalf and upon satisfaction thereof and after making necessary inquiry, if any, shall issue a fire plan approval or fire safety certificate, as the case may be, within the stipulated time and subject to the conditions, as may be prescribed.

(2) No person shall tamper with, alter, remove or cause any injury or damage to any fire prevention and life safety equipment installed in any such building or part thereof or instigate any other person to do so.

(3) The owner or occupier or the applicant, as the case may be shall, at all times, keep the equipment and appliances in optimal functional condition.

14. Power to seal buildings or premises.

(1) Where, as per order, notification and rules, passed, issued and made under Section 12 and 13, as the case may be or suo-moto, it appears to the competent authority that the condition of any building or premises is dangerous to life or property, he shall, without prejudice to any action taken under this Act and after giving a reasonable opportunity of hearing, by order, require the person in possession or occupation of such building or premises, to remove themselves from such building or premises forthwith and seal the building or premises if required, in the manner as may be prescribed by the rules.

(2) If an order under sub-section (1) is not complied with, the competent authority may direct any police officer to remove such persons from the building or premises and such officer shall comply with such directions.

15. Qualified agencies and their functions.

(1) The Director or any officer authorised by him may grant license to any person or association of persons, who fulfills the necessary qualifications as qualified agency.

(2) The procedure for application, terms and conditions, validity, suspension, cancellation of license shall be, as prescribed.

(3) Qualified agencies may carry out the following functions,-

(a) submission of fire plan on behalf of the owner;

(b) conduct of inspection on behalf of the Director, as and when authorised;

(c) grant of third party certifications;

(d) preparation of audit reports;

(e) such other functions, as may be prescribed.

16. Appointment and functions of Fire Safety Supervisor.-

To ensure effective fire prevention and life safety measures in a building or premises requiring fire safety certificate, every owner and occupier or occupiers, individually or jointly, as the case may be, shall,-

(i) appoint a fire safety supervisor, having such qualifications and training, as may be prescribed;

(ii) send the compliance report to the competent authority;

Provided that the State Government may, by notification, Include or exclude any building or group of buildings from the requirement of appointing a fire safety supervisor.

17. Power of inspection.-

The competent authority or any fire officer authorised by him, may enter and inspect such place or building for ascertaining the adequacy or contravention of fire prevention and life safety measures, in the manner, as may be prescribed.

CHAPTER V

OFFENCES AND PENALTIES

18. Offences and penalties.-

(1) Any person, who knowingly gives or causes to be given a false report of the outbreak of a fire to any person authorized to receive such report by means of a statement, message or otherwise, shall be liable to a penalty, which may extend upto rupees twenty thousand.

(2) Whoever contravenes any provision of sub-section (1) of Section 10 shall, without prejudice to any other action taken against him under this Act, be liable to a penalty, which may extend upto rupees fifteen thousand and where the offence is a continuing one, with a further penalty upto rupees three thousand, for every day after the first day, during which such offence continues.

(3) Whoever fails without any reasonable cause to comply with any of the requirements of sub-section (2) of Section 11, shall be liable to penalty, which may extend upto rupees fifty thousand and where the offence is a continuing one, with a further penalty upto rupees five thousand, for every day after the first day during which such offence continues.

(4) Whoever fails without any reasonable cause to comply with any of the requirements of sub-section (1) of Section 12, shall be liable to penalty, which may extend upto rupees one lakh and where the offence is a continuing one, with a further penalty upto rupees five thousand, for every day after the first day during which such offence continues.

(5) Any person who removes such seal, except under an order made by the competent authority under Section 14, shall be liable to penalty, which may extend upto rupees five lakh.

(6) Failure to appoint a fire safety supervisor under Section 16, within 30 days of the notice given by the competent authority or the fire officer, shall render the person(s) jointly or severally liable and where the person is found to be in default, a sum of penalty shall be imposed on them, which shall not be more than ten rupees per square meter, inclusive of common areas and where the offence is a continuing one, with a further penalty upto rupees ten thousand, for every day after the first day during which such offence continues.

(7) Any person who willfully obstructs or interferes with any personnel engaged in firefighting and rescue operations, shall be liable to a penalty, which may extend upto rupees one lakh.

(8) Non-procurement of a fire plan approval or fire safety certificate shall, without prejudice to any other legal remedy, be punishable with penalty, which may extend upto rupees five lakh and where the offence is a continuing one, with a further penalty upto rupees ten thousand, for every day after the first day during which such offence continues.

(9) Whoever contravenes any provision of this Act or any rule made thereunder, for which no specific penalty has been provided under the foregoing provisions, shall be liable to a penalty, which may extend upto rupees ten thousand:

Provided that no order imposing penalties shall be passed, unless a reasonable opportunity of being heard, is given.

All penalties imposed under this Act, if it is not paid, shall be recovered in the manner provided in Section 32.

19. Penalty for dereliction of duty.- Notwithstanding any action, which may be taken under the provisions of this Act, any personnel, who,-

(a) is found to be guilty of dereliction of duty or wilful breach of any provisions of this Act or any rule or order made thereunder; or

(b) is found to be guilty of cowardice;

shall be punishable with imprisonment for a term of three months or with fine upto an amount not exceeding three months' salary of such personnel or with both.

20. Liability of property owner to pay compensation.-

(1) Deliberate or negligent acts causing fire, render the responsible party or his agent liable for damages to the party, whose property is harmed by actions taken under Section 9.

(2) All claims under sub-section (1) shall be referred to the competent authority, within thirty days from the date, when the damage was caused. The competent authority shall decide the claims, as expeditiously as possible, but not later than 90 days from the date when the damage was caused.

(3) Any person aggrieved by the decision of the competent authority, may prefer an appeal before the appellate authority. The Appellate Authority shall, after giving an opportunity of hearing to the concerned parties, pass an order determining the amount of compensation to be paid by the responsible party to the party affected and the order so passed, shall have the force of a decree of a civil court.

21. Offences by companies.-

Where an offence under this Act has been committed by a company, every person, who at the time the offence was committed, was in charge of and was responsible to the company, for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that no order of punishment shall be passed without providing a due opportunity of hearing to all the concerned parties.

22. Protection of action taken in good faith.-

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything done or intended to be done in good faith in pursuance of this Act or any rules made thereunder.

23. Power to impose penalties.-

An officer not below the rank of a Sub-divisional Magistrate, either suo-moto or on the complaint of or upon information received from the competent authority or the officer authorized by him in this behalf, may impose penalty for any offence committed under this Act.

24. Jurisdiction.-

No court inferior to that of any Judicial Magistrate shall try an offence punishable under Section 19 of this Act.

CHAPTER VI

APPEALS

25. Appeals.-

(1) Any person aggrieved by an order of any officer made under this Act, may prefer an appeal against such order before the Appellate Authority within thirty days from the date of the order appealed against:

Provided that the Appellate Authority may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days, if he is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.

(2) An appeal to the Appellate Authority shall be made in such form and shall be accompanied by a copy of the order appealed against and with such fees, as may be prescribed by rules.

(3) The decision of the Appellate Authority thereon shall be final and binding on all the parties thereto.

CHAPTER VII

TRAINING AND CAPACITY BUILDING

26. Training And Capacity Building.

(1) The State Government shall establish and facilitate such training and capacity building facilities to the Fire and Emergency Service, as may be prescribed.

(2) The district magistrate or the local body shall conduct community awareness and training programmes on preventive measures on fire and other emergencies. The Fire and Emergency Service shall render such assistance and consultation to the communities in matters related to fire prevention, as may be prescribed.

CHAPTER VIII

LEVY OF FIRE TAX

27. Levy of Fire Tax.-

(1) There may be levied a fire tax on lands and buildings, which are situated in any area, in which this Act is in force and on which property tax, by whatever name called, is levied by any local body in that area:

Provided that no fire tax shall be levied on any building, if exempted by the State Government.

(2) The fire tax shall be levied in the form of a surcharge on the property tax, at such rate in terms of percentage of such property tax, as the State Government may determine, from time to time.

(3) The local bodies empowered to assess, collect and appropriate payment of property tax under the law shall, assess, collect and appropriate payment of the fire tax as may be prescribed.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

28. Declaration of Fire and Emergency Service as an Essential Service

Without prejudice to the provisions of any other law on the subject, for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, declare the Fire and Emergency Service as an essential service.

29. Deployment outside the State.-

On the occasion of a fire or other emergency in any neighboring area, wherein this Act is not in force, the personnel shall be deployed with necessary appliances and equipments, in order to carry out fire fighting operations in such area on payment of such charges, as may be prescribed, from time to time and thereupon all the provisions of this Act and the rules made thereunder shall apply to such area.

30. Deployment on other duties within the State.-

The State Government or any officer authorized by it in this behalf, may deploy the personnel in any rescue, salvage or other works, for which it is suitable by reason of its training, appliances and equipment.

31. Power to obtain information.

The Director or any personnel authorized by an order in this behalf may, for the purpose of discharging his duties under this Act, require the owner or occupier of any building or other property, to supply information with respect to the character of such building or other property, available water supplies and means of access thereto, any other material particulars and such owner or occupier shall furnish all the information in his possession.

32. Recovery of dues.-

Any amount payable under this Act shall be recovered in the manner provided herein below,-

(1) Where any amount is liable to be recovered, the competent authority shall with the least practicable delay, issue a notice to the person liable for the payment thereof;

(2) If the person, to whom a notice has been served under sub-section (1), does not within fifteen days from the service of such notice, pays the amount so demanded in the notice, then such an amount with all cost of recovery and interest, may be recovered by the competent authority.

(3) The competent authority may order recovery by distress and sale of any movable property or attachment and sale of immovable property belonging to such person.

33. Police officers and others to aid.-

In fire or emergency operations or any other duties related to removal of person, seizure, detention or removal of any goods involving risk of fire, it shall be the duty of a police officer or employees of the police force to assist and aid the fire officer in performance of such duties under this Act.

34. Power to make rules.

The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

35. Delegation of powers.-

The State Government may, by notification in the official Gazette, direct that any power exercisable by it under this Act shall, subject to such conditions, if any, as may be speci fied in the notification, shall be exercisable by any of the officers of the State Government or local body.

36. Act not in derogation of any other law.-

The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force, in any area, in which this Act is in force.

37. Power to remove difficulties.

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every order issued under this section shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the Legislative Assembly of the State.

38. Repeal and savings.-

If immediately before the day, on which this Act comes into force in an area, there is in force in that area any law or rule having the force of law, which corresponds to this Act, such corresponding law in so for as, any matter for which provision has been made in this Act, shall on that day stand repealed:

Provided that such repeal shall not be deemed to limit, modify or derogate from the general responsibility of any local body,-

(i) to provide and maintain such water supply and fire hydrants for fire fighting purposes, as may be directed by the State Government, from time to time;

(ii) to frame bye-laws for the regulation of dangerous trades;

(iii) to order any of its employees to render aid in fighting a fire, when reasonably called upon to do so by any personnel of the fire service; and

(iv) Generally, to take such measures as shall lessen the likelihood of fires or preventing the spread of fires.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present, for regulating Fire and Emergency Service, there is Section 351, 352, 353, 354 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 286 and 287 of the Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961) in State of Madhya Pradesh. Fire service have been managed by the urban local bodies, which are responsible for handling fire and emergency operations in the State. There is a need for legally and structurally equipped 'Fire and Emergency Service in the State of Madhya Pradesh, which is trained and equipped for disasters, that happen unexpectedly and demands immediate action of the fire and emergency service. In recent times, several fire incidents have occurred, resulting in loss of human life and property. In the absence of proper fire and emergency regulations, it becomes very difficult to identify the persons and causes behind such incidents and to fix responsibilities.

2. It is therefore necessary, that an Act may be prepared for organization, superintendence, control and maintenance of the Fire and Emergency Service, so that the State is prepared to properly manage such incidences, identify the reasons of such incidences and also fix responsibility of the persons causing such incidences.

3. Hence this Bill.

Bhopal:
Dated the 19th JULY, 2026

KAILASH VIJAYVARGIYA.
MEMBER-IN-CHARGE.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2026.

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213] भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जुलाई 2026—आषाढ़ 29, शक 1948

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2026

क्र. 12604—मप्रविस—16—विधान—2026.— मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम—64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026 (क्रमांक 17 सन् 2026) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई 2026 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०२६

मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, २०२६

विषय-सूची

अध्याय-एक

प्रारंभिक

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
२. परिभाषाएं.

अध्याय-दो

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का संगठन, अधीक्षण, नियंत्रण और संधारण

३. सम्पूर्ण राज्य के लिए अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की स्थापना, गठन और वर्गीकरण

४. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का अधीक्षण और नियंत्रण.

५. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का संचालक.

६. अग्निशमन केन्द्रों (फायर स्टेशनों) की स्थापना.

७. अग्निशमन एवं आपातकालीन स्वयंसेवक (वॉलंटियर्स)

अध्याय-तीन

अग्निशमन एवं आपातकालीन अनुक्रिया

८. सूचना पर अनुक्रिया.

९. अग्निशमन या आपातकालीन अनुक्रिया के अवसर पर शक्तियां.

१०. आपात स्थिति के दौरान जल आपूर्ति की व्यवस्था करने की शक्ति.

अध्याय-चार

अग्निशमन और आपात स्थिति के लिए सामान्य उपाय, रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपाय

११. निवारक उपाय.

१२. अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने का स्वामियों या अधिभोगियों का उत्तरदायित्व.

१३. अग्निशमन योजना अनुमोदन या अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करना.

१४. भवनों या परिसरों को सीलबंद करने की शक्ति.

१५. अर्हित एजेंसी और उसके कार्य,

१६. अग्नि सुरक्षा पर्यवेक्षक की नियुक्ति एवं कृत्य.

१७. निरीक्षण की शक्ति.

अध्याय-पांच

अपराध और शास्तियां

१८. अपराध और शास्तियां.

१९. कर्तव्य की अवहेलना पर शास्ति.

२०. संपत्ति के स्वामी का प्रतिकर भुगतान का दायित्व.

२१. कंपनियों द्वारा अपराध.

२२. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

२३. शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति.

२४. अधिकारिता.

अध्याय-छह

अपील

२५. अपील.

अध्याय-सात

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

२६. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण.

अध्याय-आठ

अग्निशमन कर का उद्ग्रहण

२७. अग्निशमन कर का उद्ग्रहण.

अध्याय-नौ

विविध

२८. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को आवश्यक सेवा के रूप में घोषित करना.

२९. राज्य के बाहर अभिनियोजन करना.

३०. राज्य के भीतर अन्य कर्तव्यों पर अभिनियोजन.

३१. सूचना प्राप्त करने की शक्ति.

३२. शोध्यों की वसूली.

३३. पुलिस अधिकारी और अन्य द्वारा सहायता करना.

३४. नियम बनाने की शक्ति.

३५. शक्तियों का प्रत्यायोजन.

३६. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना.

३७. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

३८. निरसन और व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०२६

मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकानलीन सेवाएं विधेयक, २०२६

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के विनियमन तथा मध्यप्रदेश राज्य में विभिन्न प्रकार के भवनों और परिसरों में आग से बचाव और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए अधिक प्रभावी उपबंध करने तथा उससे संसक्त और उसके अनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

अध्याय-एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

(१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम, २०२६ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और विभिन्न क्षेत्रों और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए पृथक-पृथक तारीखें नियत की जा सकेंगी.

२. परिभाषाएं.

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अपील अधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी, जो उस अधिकारी की श्रेणी से कम से कम एक श्रेणी ऊपर का हो, जिसके आदेश के विरूद्ध विहित अनुसार अपील की जाती है;

(ख) ''भवन" में कोई ऐसी संरचना या परिनिर्माण या किसी संरचना या परिनिर्माण का भाग सम्मिलित है, जो आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए आशयित हो, चाहे वह वास्तव में उपयोग में हो या ना हो;

(ग) ''भवन उपविधियों" का वहीं अर्थ होगा जो उसे राज्य नगरपालिक विधियों में या राज्य भूमि विकास नियमों में समानुदेशित किया गया है;

(घ) ''सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा प्राधिकारी, जिसे यथापरिभाषित तथा ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए;

(ङ.) ''कायरता" से तात्पर्य जीवन तथा संपत्ति पर आसन्न किसी खतरे का सामना करते समय, किसी कार्मिक द्वारा जानबूझकर की गई चरित्र तथा कर्तव्य की शर्मनाक असफलता;

(च) ''संचालक" से अभिप्रेत है संचालक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा;

(छ) ''आपदा" से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या गंभीर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन को सारवान् हानि या मानवीय पीड़ाएं, या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिणाम का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है;

(ज) ''आपातकाल'' से अभिप्रेत है, कोई गम्भीर परिस्थिति या घटना, जिसमें आपदा सम्मिलित है जो अप्रत्याशित रूप से घटती है तथा जिसके लिए राज्य सरकार या स्थानीय निकाय की अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की तवरित कार्रवाई आवश्यक हो;

(झ) ''निर्माता'' से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों की संस्था, जो नियमित या अस्थायी आधार पर जनता के अधिभोग के लिए कोई पंडाल या कोई संरचना परिनिर्मित करता है या बनाता है;

(ञ) ''अग्निशमन अधिकारी'' से अभिप्रेत है, अग्निशमन प्रचालनों के लिए और उससे संबंधित तथा उससे आनुषंगिक विषयों के लिए राज्य सरकार, नगरीय स्थानीय निकाय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;

(ट) ''अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय'' से अभिप्रेत है, ऐसे उपाय जो अग्नि के रोकथाम, नियंत्रण, और बुझाने के लिए और आग लगने की दशा में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों;

(ठ) ''अग्नि सुरक्षा पर्यवेक्षक'' से अभिप्रेत हैं, ऐसे परिसरों और भवनों में लगाए गए अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए, इस संबंध में यथाविनिर्दिष्ट कतिपय परिसरों और भवनों के स्वामियों या अंधिभोगियों द्वारा धारा १६ के अधीन नियुक्त व्यक्तित;

(ड) ''अग्निशमन केन्द्र'' से अभिप्रेत है अग्निशमन उपस्कर, यंत्र और कर्मचारिवृन्द को रखने के लिए निर्मित भवन जिसे राज्य सरकार द्वारा सामान्यतः या विशेषतः अग्निशमन केन्द्र के रूप में घोषित किया गया हो तथा इस अधिनियम की धारा ६ में यथा परिभाषित अन्य मैदानी संरचना;

(ढ) ''स्थानीय निकाय'' से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर परिषद्, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, या किसी सुसंगत राज्य विधि के अधीन गठित कोई स्थानीय निकाय;

(ण) ''अधिभोग'' से अभिप्रेत है ऐसा प्रमुख अधिभोग जिसके लिए किसी भवन या भवन का कोई भाग उपयोग में लाया जाता है या उपयोग करने का आशय है, जिसमें सहायक अधिभोग सम्मिलित हैं जो उस पर निर्भर हैं;

(त) ''अधिभोगी'' से अभिप्रेत है-

(एक) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो तत्समय, भूमि या भवन के स्वामी को भाटक या भाटक के किसी भाग का भुगतान कर रहा है या भुगतान करने का दायी है जिसके कि संबंध में ऐसा भाटक दिया जाता हो या देय हो; या

(दो) कोई स्वामी जिसका अपनी भूमि या भवन पर अधिभोग हो, या अन्यथा उपयोग कर रहा हो; या

(तीन) किसी भी भूमि या भवन का किराया मुक्त किरायेदार; या

(चार) किसी भूमि या भवन का अधिभोग रखना वाला कोई अनुज्ञप्तिधारी; या

(पांच) कोई भी व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन के उपयोग और कब्जे के लिए स्वामी को नुकसान का भुगतान करने का दायी हो;

(थ) ''स्वामी'' में सम्मिलित है, ऐसा व्यक्ति जो तत्समय, किसी भूमि या भवन का किराया, चाहे स्वयं के लेखे या स्वयं और अन्य या अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर या कोई अन्य व्यक्ति के लेखे से प्राप्त करने का हकदार हो या जो इस प्रकार किराया प्राप्त करेगा या इसे प्राप्त करने का हकदार होता, यदि भूमि या भवन या उसका भाग किसी किराएदार को किराए पर दिया गया होता;

(द) ''पंडाल" से अभिप्रेत है, तृण, सूखी घास, उलू घास, गोलपट्टा, नरकट, बांस की चटाई, चटाई, फाईबर सामग्री, कैनवास, कपड़ा या अन्य समान सामग्री से बनी छत या दीवारों के साथ एक अस्थायी संरचना जिसे स्थायी या निरंतर अधिभोग के लिए किसी के द्वारा नहीं अपनाया जाता हो;

(ध) ''कार्मिक" से अभिप्रेत है अग्निशमन एवं आपातकालीन परिचालनों के प्रयोजन हेतु अभिनियोजित कार्मिक;

(न) ''अर्हित एजेंसी" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों की संस्था जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन/सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग/प्रोद्यौगिकी, औद्योगिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन या रसायनिक विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता तथा अग्निशमन के क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान और उपलब्धियां हो;

(प) ''राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार.

(२) समस्त अन्य शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इसमें प्रयुक्त है परन्तु परिभाषित नहीं है और मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) और मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उन अधिनियमों में उनके लिए समनुदेशित हैं.

अध्याय- दो

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का संगठन, अधीक्षण, नियंत्रण और संधारण

३. सम्पूर्ण राज्य के लिए अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की स्थापना, गठन और वर्गीकरण.

सम्पूर्ण राज्य के लिए एक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा होगी और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के समस्त अधिकारी और अधीनस्थ श्रेणी, किसी कार्यालय या किसी मैदानी संरचना में तैनात किया जा सकेगाः

परंतु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के किसी स्थानीय निकाय के किसी अग्निशमन केन्द्र या किसी अन्य स्थानीय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, किसी भी समय यह घोषित कर सकेगी कि वह राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का भाग है अथवा नहीं है.

४. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का अधीक्षण और नियंत्रण.

सम्पूर्ण राज्य में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का पर्यवेक्षण राज्य सरकार में निहित होगा, जबकि प्रचालन नियंत्रण नगरीय स्थानीय निकाय तथा सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा.

५. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का संचालक.

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का एक संचालक होगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कृत्यों का निवर्हन करेगा, जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाए.

६. अग्निशमन केन्द्रों (फायर स्टेशनों) की स्थापना.

(१) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या नगरीय स्थानीय निकाय की अनुशंसा पर उतने अग्निशमन केन्द्रों और अन्य मैदानी संरचनाओं को गठित कर सकेगी जैसा कि अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपायों के प्रयोजन हेतु वह उचित समझे.

(२) संचालक के अधीक्षण तथा संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय या सक्षम प्राधिकारी के प्रचालन नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी तथा उसमें नियुक्त कार्मिक ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जैसा कि इन नियमों के अधीन उसे प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं.

७. अग्निशमन एवं आपातकालीन स्वयंसेवक (वॉलंटियर्स).

जब कभी, नगरीय स्थानीय निकाय को यह प्रतीत होता है कि अग्निशमन एवं आपातकालीन अनुक्रिया व्यवस्था में वृद्धि आवश्यक है, तो वह ऐसे क्षेत्र के लिए स्वयंसेवकों को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नामांकित कर सकेगी जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाए.

अध्याय- तीन

अग्निशमन एवं आपातकालीन अनुक्रिया

८. सूचना पर अनुक्रिया.

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मानक परिचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, राज्य में किसी क्षेत्र से अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा से संबंधित समस्त सूचनाओं पर अनुक्रिया देगा, जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे.

९. अग्निशमन या आपातकालीन अनुक्रिया के अवसर पर शक्तियाँ.

(१) अग्निशमन या आपातकालीन अनुक्रिया के अवसर पर, अग्निशमन एवं आपातकालीन अनुक्रिया के प्रयोजन हेतु उत्तरदायी कार्मिक जो अग्निशामक परिचालनों का प्रभारी है,-

(एक) कोई भी व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति से अग्निशमन या आपातकालीन अनुक्रिया में हस्तक्षेप होता है, को हटा सकेगा, या किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में ले सकेगा, जो जानबूझकर अग्निशमन या बचाव परिचालनों में बाधा डालता है या रोकता है;

(दो) अग्निशमन या आपातकालीन अनुक्रिया को कार्यान्वित करने हेतु उपकरणों के मार्ग के लिए, जैसी भी आवश्यकता हो, किन्हीं परिसरों या संरचनाओं में प्रवेश कर सकेगा, तोड़ सकेगा या हटा सकेगा;

(तीन) किसी सड़क या मार्ग को, जिसमें या जिसके पास आग लगी हो अग्निशमन या आपातकालीन अनुक्रिया प्रगति पर है, बंद कर सकेगा;

(चार) अग्निशमन या आपातकालीन अनुक्रिया में बाधा डालने वाली सम्भाव्य व्यक्तियों की भीड़ को तितर-बितर कर सकेगा;

(पांच) क्षेत्र के जल आपूर्ति के प्रभारी प्राधिकारी से विनिर्दिष्ट दबाव पर जल विनियमित तथा उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा;

(छह) ऐसे उपाय कर सकेगा, जो आग बुझाने के लिए या जीवन या संपत्ति, या दोनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रतीत हों.

(२) इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग की रीति, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, देखे जाने वाले रक्षोपाय और कोई आनुषंगिक विषय ऐसे होंगे, जैसा कि विहित किया जाए.

१०. आपात स्थिति के दौरान जल आपूर्ति की व्यवस्था करने की शक्ति.

(१) अग्निशमन परिचालनों के कार्मिक, उस क्षेत्र के किसी भी स्रोत से पानी खींच सकेंगे जहां वह अग्निशमन परिचालनों के दौरान आवश्यक समझें और उस अवसर पर जहां कि अपेक्षित हो, ऐसे जल स्रोत पर नियंत्रण रखने वाले प्राधिकारी या स्वामी या अधिभोगी उस प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति करेंगे.

(२) जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त युक्तियुक्त उपाय करेगा, कि आग लगने की स्थिति में उपयोग के लिए नियमानुसार पानी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध हो.

(३) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा द्वारा अग्निशमन परिचालनों में खपत किए गए पानी के लिए किसी शुल्क का संदाय नहीं किया जाएगा.

अध्याय-चार
आग और आपात स्थिति के लिए सामान्य उपाय, रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपाय.

११. निवारक उपाय.

(१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र में के परिसरों के या उपयोग किए गए परिसरों की किसी हटाने का निर्देश दे और स्वामी या अधिभोगी या निर्माता द्वारा ऐसा करने में विफल होने पर संचालक या अग्निशमन अधिकारी, स्वामी या अधिभोगी या निर्माता को अभ्यावेदन करने का एक उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसी वस्तुओं या सामानों को जब्त कर सकेगा, रोक सकेगा या हटा सकेगा.

(२) जहां ऐसी अधिसूचना जारी की गई है, वहां निदेशक या अग्निशमन अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उन वस्तुओं या सामानों को, जिससे आग लगने का खतरा सम्भाव्य हो सुरक्षित स्थान पर हटाने का निर्देश दे और स्वामी या अधिभोगी या निर्माता द्वारा ऐसा करने में विफल होने पर संचालक या अग्निशमन अधिकारी, स्वामी या अधिभोगी या निर्माता को अभ्यावेदन करने का एक उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसी वस्तुओं या सामानों को जब्त कर सकेगा, रोक सकेगा या हटा सकेगा.

(३) निदेशक या अग्निशमन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अग्निशमन केंद्रों और अन्य मैदानी संरचनाओं की अग्निशमन एवं आपातकालीन प्रबंधन योजनाएं संबंधित जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं के अनुरूप तैयार की जाए.

१२. अग्नि निषारण और जीवन सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने का स्वमियों या अधिभोगियों का उत्तरदायित्व.

(१) कोई स्वामी या अधिभोगी, चाहे व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त रूप से, विनियमों द्वारा यथा वर्गीकृत किसी भवन या उसके भाग के लिए उत्तरदायी होकर, ऐसे आग से बचाव और जीवन सुरक्षा के उपाय उपलब्ध कराएगा, जैसा कि विहित या अधिसूचित किया जाए.

(२) अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सशक्त कोई प्राधिकारी, उसे तब तक जारी नहीं करेगा, जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि स्वामी या अधिभोगी ने, व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से, इस धारा की उपधारा (१) में दिए गए उपबंधों का पालन न कर लिया हो.

(३) स्वामी अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के सक्षम प्राधिकारी से अग्निशमन योजना अनुमोदन या अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगेः

परंतु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी भवन या भवनों के समूह को अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा से, अग्निशमन योजना अनुमोदन या अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु सम्मिलित कर सकेगी अथवा अपवर्जित कर सकेगीः

परंतु यह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भवन या भवनों के समूह को, अग्निशमन एवं आपातकालीन अधोसंरचना के साझे और सामान्य उपयोग हेतु सम्मिलित कर सकेगी या अपवर्जित कर सकेगी.

१३. अग्निशमन योजना अनुमोदन या अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करना.

(१) सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अग्निशमन योजना अनुमोदन या अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर धारा १२ और इस निमित्त बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन का परीक्षण करेगा और उसका समाधान हो जाने पर और आवश्यक जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, नियत समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि विहित किया जाए, यथास्थिति, अग्निशमन योजना अनुमोदन या अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करेगा.

(२) कोई भी व्यक्ति, ऐसी किसी भी भवन या उसके भाग में स्थापित आग की रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपकरणों के साथ छेड़छाड़, परिवर्तन, हटाने या कोई चोट या क्षति कारित नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा.

(३) यथास्थिति, स्वामी, अधिभोगी या आवेदक हर समय उपस्कर तथा उपकरणों को सवोत्कृष्ट स्थिति में रखेंगे.

१४. भवनों या परिसरों को सीलबंद करने की शक्ति.

(१) जहां यथास्थिति धारा १२ और १३ के अधीन पारित आदेश, जारी अधिसूचना और बनाए गए नियमों के अनुसार या स्वप्रेरणा से, सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई भवन या परिसर जीवन तथा संपत्ति के लिए खतरनाक है, तो वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा ऐसे भवन या परिसर के कब्जाधारी या अधिभोगी व्यक्ति से तत्काल ऐसे भवन या परिसर से स्वयं हट जाने की अपेक्षा करेगा और यदि आवश्यक हो तो, नियमों द्वारा यथा विहित रीति में, भवन या परिसर को सीलबंद करेगा.

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन किसी ओदश का पालन नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी किसी पुलिस अधिकारी को भवन या परिसर से ऐसे व्यक्ति को हटाने का निदेश दे सकेगा और ऐसा अधिकारी ऐसे निदेशों का पालन करेगा.

१५. अर्हित एजेंसी और उसके कार्य.

(१) संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संगम को अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा, जो अर्हित एजेंसी के रूप में आवश्यक अर्हताओं को पूरा करता हो.

(२) आवेदन के लिए प्रक्रिया, निबन्धन तथा शर्तें, अनुज्ञप्ति की वैधता. निलंबन, रद्दकरण विहित किए गए अनुसार होगा.

(३) अर्हित एजेंसियां निम्नलिखित कार्य कर सकेंगे,-

(क) स्वामी की ओर से अग्निशमन योजना प्रस्तुत करना;

(ख) संचालक की ओर से निरीक्षण करना, जब भी प्राधिकृत किया जाए;

(ग) तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण देना;

(घ) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना;

(ङ) ऐसे अन्य कार्य करना, जैसा कि विहित किया जाए.

१६. अग्नि सुरक्षा पर्यवेक्षक की नियुक्ति एवं कृत्य.

किसी भवन या परिसर में प्रभावी अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए, यथास्थिति, प्रत्येक स्वामी और अधिभोगी, व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप से,-

(एक) एक अग्नि सुरक्षा पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा, जो ऐसी अर्हताएं रखता हो, तथा प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, जैसा कि विहित किया जाए,

(दो) सक्षम प्राधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट भेजेंगे:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भवन या भवनों के समूह को, अग्नि सुरक्षा पर्यवेक्षक नियुक्त करने की अपेक्षा हेतु सम्मिलित कर सकेगी या अपवर्जित कर सकेगी.

१७. निरीक्षण की शक्ति.

सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अग्निशमन अधिकारी, ऐसे स्थान या भवन में, आग की रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता या उल्लंघन का पता लगाने के लिए, ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, प्रवेश और निरीक्षण कर सकेगा.

अध्याय-पांच

अपराध और शास्तियां

१८. अपराध और शास्तियां.

(१) कोई भी व्यक्ति, जो जानबूझकर कथन, संदेश या अन्यथा के माध्यम से, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किसी आग लगने की मिथ्या सूचना देता है या दिलवाता है, ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो बीस हजार रूपये तक की हो सकेगी.

(२) जो कोई भी धारा १० की उपधारा (१) के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह इस अधिनियम के अधीन शास्ति का, जो पंद्रह हजार रूपये तक की हो सकेगी और जहां अपराध जारी रहता है, वहां अतिरिक्त शास्ति से, जो ऐसे अपराध के जारी रहने के दौरान प्रथम दिन के पश्चात्, प्रत्येक दिन के लिए तीन हजार रूपये तक की हो सकेगी, दायी होगा.

(३) जो कोई भी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के धारा ११ की उपधारा (२) की किन्हीं अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रूपये तक की हो सकेगी और जहां अपराध जारी रहता है, वहां अतिरिक्त शास्ति से, जो ऐसे अपराध के जारी रहने के दौरान प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रूपये तक की हो सकेगी.

(४) जो कोई भी, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के धारा १२ की उपधारा (१) की किन्हीं अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है, वह शास्ति का, जो एक लाख रूपये तक की हो सकेगी और जहां अपराध जारी रहता है, वहां अतिरिक्त शास्ति से, जो ऐसे अपराध के जारी रहने के दौरान प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, पांच हजार रूपये तक की हो सकेगी, दायी होगा.

(५) कोई भी व्यक्ति, जो धारा १४ के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश के सिवाय, ऐसी सील को हटाता है, वह शास्ति का, जो पांच लाख रूपये तक की हो सकेगी, दायी होगा.

(६) सक्षम प्राधिकारी या अग्निशमन अधिकारी द्वारा नोटिस दिए जाने के ३० दिवस के भीतर, धारा १६ के अधीन अग्नि सुरक्षा पर्यवेक्षक नियुक्त करने में असफल रहता है, वहां ऐसा व्यक्ति संयुक्त रूप से अथवा पृथकतः दायी होगा और जहां ऐसे व्यक्ति को व्यतिक्रमी पाया जाता है, उस पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी, जो साझा क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए, दस रूपये प्रति वर्गमीटर से अधिक नहीं होगी और जहां अपराध जारी रहता है, वहां अतिरिक्त शास्ति से, जो ऐसे अपराध के जारी रहने के दौरान प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रूपये तक की हो सकेगी.

(७) कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी कार्मिक को, जो अग्निशमन तथा बचाव परिचालनों में संलग्न है, बाधा उत्पन्न करता है या हस्तक्षेप करता है, वह शास्ति का जो एक लाख रूपये तक की हो सकेगी, दायी होगा.

(८) अग्निशमन योजना अनुमोदन या अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र उपाप्त न करना, किसी अन्य विधिक उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शास्ति से, जो पांच लाख रूपये तक हो सकेगी और जहां अपराध जारी रहता है, वहां अतिरिक्त शास्ति से, जो ऐसे अपराध के जारी रहने के दौरान प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रूपये तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा.

(६) जो कोई भी इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए किसी नियम का उल्लंघन करता है, जिसके लिए पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन कोई विशिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दस हजार रूपये तक की हो सकेगी, दायी होगाः

परन्तु शास्तियां अधिरोपित करने वाला कोई आदेश, तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित समस्त शास्तियों का, यदि संदाय नहीं किया जाता है, तो धारा ३२ में उपबंधित रीति में वसूल की जाएगी.

१६. कर्तव्य की अवहेलना पर शास्ति.

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई किसी भी कार्रवाई के होते हुए, कोई कार्मिक जो,-

(क) कर्तव्य की अवहेलना का या इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश का जानबूझकर उल्लंघन का दोषी पाया जाता है; या

(ख) कायरता का दोषी पाया जाता है;

तीन मास की अवधि के कारावास से या ऐसे कार्मिक के तीन मास से अनधिक वेतन की राशि तक के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा.

२०. संपत्ति का स्वामी का प्रतिकर भुगतान का दायित्व.

(१) जान बूझकर या उपेक्षापूर्वक की गई कार्रवाइयों के कारण आग लग जाने पर, उत्तरदायी पक्षकार या उसका एजेंट उस पक्षकार को हुए नुकसान के लिए दायी होगा, जिसकी संपत्ति को धारा ६ के अधीन की गई कार्रवाइयों के कारण अपहानि हुई है.

(२) उपधारा (१) के अधीन समस्त दावे, उस तारीख से जब नुकसान कारित हुआ था, तीस दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट किए जाएंगे. सक्षम प्राधिकारी यथासंभव शीघ्रता के साथ, परन्तु जब नुकसान कारित हुआ हो, उस तारीख से ६० दिन के अपश्चात् दावों का विनिश्चय करेगा.

(३) सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा. अपील प्राधिकारी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रभावित पक्षकार को उत्तरदायी पक्षकार द्वारा संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर की राशि अवधारित करने वाला आदेश पारित करेगा और इस प्रकार पारित आदेश एक सिविल न्यायालय की डिग्री का बल रखेगा.

२१. कंपनियों द्वारा अपराध.

जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा कारित किया गया है, वहां अपराध कारित किए जाने के समय, कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति के साथ-साथ कंपनी अपराध की दोषी समझी जाएगी और उसके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने की दायी होगी और तद्नुसार दंडित किया जाएगाः

परंतु दंड का कोई आदेश समस्त संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा.

२२. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में, सद्भावपूर्वककी गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी.

२३. शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति.

उप-खंड मजिस्ट्रेट से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी या तो स्वप्रेरणा या किसी शिकायत पर या इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी या किसी अधिकारी से जानकारी प्राप्त होने पर इस अधिनियम के अधीन अपराध कारित करने के लिए शास्ति अधिरोपित कर सकेगा.

२४. अधिकारिता.

किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम की धारा १६ के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा.

अध्याय-छह

अपील

२५. अपील.

(१) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, अपील प्राधिकारी के समक्ष ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील, आदेश जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है, की तारीख से तीस दिन के भीतर, प्रस्तुत कर सकेगाः

परंतु अपील प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील पर विचार कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था.

(२) अपील प्राधिकारी को अपील ऐसे प्ररूप में और उसके साथ आदेश की एक प्रति जिसके विरूद्ध अपील की गई है और ऐसे शुल्क के साथ की जाएगी जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाए.

(३) किसी अपील पर अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और उससे संबंधित समस्त पक्षकारों पर बंधनकारी होगा.

अध्याय-सात

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

२६. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण.

(१) राज्य सरकार, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं हेतु ऐसी प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण प्रसुविधाएं स्थापित करेंगी तथा सुकर बनाएगी, जैसा कि विहित किया जाए.

(२) जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय निकाय, आग और अन्य आपात स्थितियों में, निवारक उपायों पर सामुदायिक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, आग की रोकथाम से संबंधित मामलों में, समुदायों को ऐसी सहायता और परामर्श प्रदान करेगी, जैसा कि विहित किया जाए.

अध्याय-आठ

अग्निशमन कर का उद्ग्रहण

२७. अग्निशमन कर का उद्ग्रहण.

(१) किन्हीं भी ऐसी भूमि और भवनों पर अग्निशमन कर उद्घ्गृहीत किया जा सकेगा, जो किसी ऐसे क्षेत्र में अवस्थित हैं, जिनमें यह अधिनियम प्रवृत्त है और जिन पर संपत्ति कर, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, उस क्षेत्र में के किसी स्थानीय निकाय द्वारा उद्घ्गृहीत किया जाता है:

परन्तु किसी भवन पर, यदि राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है, कोई अग्निशमन कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा.

(२) अग्निशमन कर, संपत्ति कर पर अधिभार के रूप में ऐसे संपत्ति कर के प्रतिशत के रूप में, ऐसी दर पर लगाया जाएगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर अवधारित करे.

(३) विधि के अधीन संपत्ति कर का निर्धारण करने, संग्रहण करने तथा भुगतान विनियोजित करने हेतु सशक्त किए गए स्थानीय निकाय, अग्निशमन कर का निर्धारण, संग्रहण तथा भुगतान का विनियोजन करेगा, जैसा कि विहित किया जाए.

अध्याय-नौ

विविध

२८. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को आवश्यक सेवा के रूप में घोषित करना.

तत्समय प्रवृत्त इस विषय पर किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अग्निशमन एव आपातकालीन सेवा को आवश्यक सेवा के रूप में घोषित कर सकेगी.

२९. राज्य के बाहर अभिनियोजन करना.

किसी भी पड़ोसी क्षेत्र में, जिसमें यह अधिनियम लागू नहीं है, आग लगने या अन्य आपात स्थिति के घटने पर, ऐसे कार्मिक को, ऐसे प्रभारों के भुगतान पर, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, ऐसे क्षेत्र में, अग्निशमन परिचालनों को करने के लिए आवश्यक उपकरणों तथा उपस्करों के साथ अभिनियोजित किया जाएगा और इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों, के समस्त उपबंध ऐसे क्षेत्र पर लागू होंगे.

३०. राज्य के भीतर अन्य कर्तव्यों पर अभिनियोजन.

राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी बचाव, रक्षा या अन्य कार्यों में, कार्मिकों को, जो अपने प्रशिक्षण, साधन, और उपकरणों के कारण उपयुक्त हैं, अभिनियोजित कर सकेगा.

३१. सूचना प्राप्त करने की शक्ति.

संचालक या इस निमित्त किसी आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई कार्मिक इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, किसी भवन या अन्य संपत्ति के स्वामी या अधिभोगी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे भवन या अन्य सम्पत्ति की प्रकृति, उपलब्ध जल प्रदाय और वहां तक पहुंच के साधन और कोई अन्य सारवान विशिष्टियों की जानकारी प्रदान करे और ऐसा स्वामी या अधिभोगी उसके पास उपलब्ध समस्त जानकारी प्रस्तुत करेगा.

३२. शोध्यों की वसूली.

इस धारा के अधीन देय कोई राशि इसमें नीचे उपबंधित रीति में वसूल की जाएगी.-

(१) जहां कोई राशि वसूली योग्य है, सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम साध्य विलम्ब के उसके भुगतान के लिए दायी व्यक्ति को सूचना जारी करेगा.

(२) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (१) के अधीन सूचना तामील की गई है, ऐसी सूचना की तामील से पंद्रह दिवस के भीतर, सूचना में इस प्रकार मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी राशि, वसूली के समस्त खर्चे और ब्याज के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा वसूल की जा सकेगी.

(३) सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति की किसी चल संपत्ति के करस्थम् तथा विक्रय द्वारा या अचल संपत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा वसूली का आदेश दे सकेगा.

३३. पुलिस अधिकारी और अन्य द्वारा सहायता करना.

अग्निशमन या आपातकालीन परिचालनों में या व्यक्ति को हटाने, जब्ती, अवरोध से संबंधित किसी अन्य कर्तव्य या आग के जोखिम वाले किसी सामान को हटाने में पुलिस अधिकारी या पुलिस बल के कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे इस अधिनियम के अधीन ऐसे कर्तव्यों के पालन में अग्निशमन अधिकारी की सहायता करें.

३४. नियम बनाने की शक्ति.

राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बना सकेगी.

३५. शक्तियों का प्रत्यायोजन.

राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोगतव्य शक्ति, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाएगी.

३६. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना.

इस अधिनियम के उपबंध किसी क्षेत्र में, जहां यह अधिनियम प्रवृत्त है, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में.

३७. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

(१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो.

(२) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा.

३८. निरसन और व्यावृत्ति.

यदि उस दिन से ठीक पूर्व, जिस दिन किसी क्षेत्र में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, उस क्षेत्र में कोई विधि या नियम लागू है, जो इस अधिनियम से तत्स्थानी है, तो इस प्रकार की तत्स्थानी विधि जहां तक वह किसी विषय से संबंधित है, जिसके कि लिए इस अधिनियम में उपबंध किए गए है, उस दिन निरसित हुई मानी जाएगीः

परंतु ऐसा निरसन किसी स्थानीय प्राधिकरण के सामान्य उत्तरदायित्व को सीमित, उपांतरित या न्यून करने वाला नहीं समझा जाएगा,-

(एक) अग्निशमन प्रयोजनों के लिए ऐसी जल आपूर्ति और अग्निशामक यंत्रों को उपलब्ध कराना और उनका संधारण करना, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निदेशित किया जाए;

(दो) खतरनाक व्यापारों के विनियमन के लिए उप-विधियां बनाना;

(तीन) आग से लड़ने में सहायता प्रदान करने के लिए, अग्निशमन सेवा के किसी कार्मिक द्वारा, ऐसा करने के लिए समुचित रूप से बुलाए जाने पर, उसके किसी कर्मचारियों को आदेश देना;

(चार) सामान्यतः ऐसे उपाय करना जिससे आग लगने की संभावना कम हो जाएं या आग को फैलने से रोका जा सके.

उद्देश्य और कारणों का कथन

वर्तमान में, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा ३५१, ३५२, ३५३, ३५४ और नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा २८६ एवं २८७ मध्यप्रदेश राज्य में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को विनियमित करने के लिए हैं. अग्निशमन सेवाएं नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित की जा रही हैं जो कि राज्य में अग्निशमन एवं आपातकालीन परिचालनों के लिए उत्तरदायी हैं. मध्यप्रदेश राज्य में वैधानिक एवं संरचनात्मक रूप से सुसज्जित अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की जरूरत है जो ऐसी आपदाओं के लिए प्रशिक्षित एवं सुसज्जित हो, जो अचानक घटित होती हैं और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा रहती है. हाल के दिनों में आग की कई घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ है. उचित अग्निशमन एवं आपातकालीन विनियमन के अभाव में, जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करना और ऐसी घटनाओं के कारणों को पहचानना तथा जिम्मेदारियों को तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है.

२. इसलिए, यह आवश्यक है कि अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के संगठन, अधीक्षण, नियंत्रण और रखरखाव के लिए एक अधिनियम तैयार किया जाए ताकि राज्य ऐसी घटनाओं के उचित प्रबंधन के लिए तैयार रहे, ऐसी घटनाओं के कारणों की पहचान करे और ऐसी घटनाओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के उत्तरदायित्व को भी नियत करे.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १६ जुलाई, २०२६.

कैलाश विजयवर्गीय
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित."

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा.

:: वित्तीय ज्ञापन ::

प्रस्तावित विधेयक के अधिनियमित होने पर उसके उपबंधों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की स्थापना एवं अन्य आनुषंगिक व्यवस्थाओं पर लगभग रुपये ४० करोड़ का व्यय राज्य की संचित निधि पर संभावित है.

:: प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी व्यख्यात्मक ज्ञापन ::

प्रस्तावित मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, २०२६ के संबंध में.

खण्ड ५ - अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के संचालन, कृत्यों के निर्वहन;

खण्ड ६ - अनिशमन केन्द्रों की स्थापना एवं अन्य मैदानी संरचनाओं के गठन;

खण्ड ७ - अग्निशमन एवं आपातकालीन स्वयंसेवकों को नामांकित किये जाने की शर्ते निहित किये जाने,

खण्ड ८ - अग्निशमन या आपातकालीन अनुक्रिया हेतु शक्तियों के प्रयोग की रीति, प्रक्रिया विहित किये जाने,

खण्ड ११ - निवारक उपाय के लिए आवश्यक सावधानी बरतने के संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने,

खण्ड १२ - अग्नि निवारण और जीवन उपाय के लिए भवन या भवनों के समूह को उपयोग हेतु अधिसूचित किए जाने,

खण्ड १४ - भवनों या परिसरों को सीलबंद किए जाने,

खण्ड १५ - अर्हित एजेंसी और उसके कार्य की प्रक्रिया निबन्धन तथा शर्तें, अनुज्ञप्ति की वैधता, निलंबन, रद्दकरण विहित किए जाने,

खण्ड १६ - अग्नि सुरक्षा पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाने;

खण्ड २५ - अपील किए जाने हेतु अपील की विधि और शुल्क निहित किये जाने;

खण्ड २७ - अग्निशमन कर का उद्ग्रहण किये जाने,

खण्ड ३६ - स्थानीय निकायों को शक्तियों का प्रत्यायोजन एवं खण्ड ३७ द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भुत कठिनाईयों को दूर किये जाने के,

संबंध में विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, जो सामान्य स्वरूप का होगा.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.